



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रक. कं.

/ 2011 निगरानी

१-1108-III/2011

कौशिल्या बेवा लोकनाथ मिश्र
निवासी ग्राम सिहावल तहसील सिहावल
जिला सीधी आवेदिका
बनाम

1. इन्द्रकम मिश्र तनय रामनरेश मिश्र
2. उदय कमल मिश्र तनय रामनरेश मिश्र
3. प्रेम कुमार मिश्र तनय रामनरेश मिश्र
4. चन्द्रवली मिश्र तनय दुलारमणी मिश्र
5. सूर्य वली मिश्र तनय दुलारमणी मिश्र
6. मायादेवी मिश्र पत्नी कुलदीप मिश्र
निवासी ग्राम कौशोली तहसील सिहावल
जिला सीधी ... अनावेदकगण
अना. 2 लगायत 6 फोरमर पक्षकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू. राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध
आदेश दिनांक 2.06.11 पारित द्वारा श्रीमान के.पी. राही
अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 371/
निगरानी 08-09 व उनवान इन्द्रकमल बनाम कौशिल्य
आदि ।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से पुनरीक्षण याचिका निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

- 1- यह कि, विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 46/ 1 रकवा 1.62 हे. 47 / 0.72 हे.
72/ 2.86 हे., 73/ 0.51 हे., 77/ 0.27 हे., 78/ 0.16 हे., 79/ 2.10 हे.,
188/ 0.58, 190/ 2.02, 318/ 0.31, 319 जु. / 0.083, 355/ 1.85,
356/ 0.02, 359/ 0.28 एवं 364/ 1.71 कुल कित्ता 15 में हिस्सा 1/2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-1108/तीन/2011

जिला सीधी

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

कौशलया/ इन्द्रकमल

पक्षकारों
अभिभाषकों
आदि के
हस्ताक्षर

8-12-2015

प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण को वापस लेने संबंधी आवेदन दिनांक 8.12.15 पर सुना गया।

आवेदक के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से वही बात दुहरायी जो आवेदन पत्र दिनांक 8.12.15 में अंकित की गयी है। उनके द्वारा निगरानी आगे न चलाते हुए वापस लेने का अनुरोध किया गया है।

विचारोपरांत प्रकरण में आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 8.12.15 स्वीकार किया जाकर आवेदिका की ओर से आवेदक अधिवक्ता के निवेदन पर निगरानी वापस लेने की अनुमति दी जाती है। उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी इस न्यायालय से समाप्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापस किया जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दारि.हो।



सदस्य

